प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.10.2024

दिनांक 14-10-24 थाना नन्दग्राम पुलिस ने नाबालिक बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार।पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग से अभियुक्त हुआ घायल, गिरफ्तार,अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद। ईलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती।

दिनांक 12-10-24 की रात्रि में वादी मुकदमा जो कि आलू चाट हलवाई का काम करता है, अपनी बच्ची उम्र करीब 7 वर्ष के साथ रामलीला मैदान में चाट की ठेली लगाई थी, तभी वह बच्ची मेले में घुमने लगी। अभि0 बच्ची को बहला फुसलाकर आईसक्रीम दिलाकर मेले से बाहर ले गया और सिटी फोरेस्ट में नदी के पास ले जाकर गलत काम किया।

अभियुक्त का नाम पता-

सद्दाम पुत्र महरुल जमा निवासी म0न0 31 गली न0 2 नईबस्ती नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व
घटना के दौरान पहना हुआ अन्डर वियर

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

दिनांक 15-10-24 थाना कविनगर पुलिस ने गोविंदपुरम मे मारपीट से मृत्यु होने वाले मामले में मारपीट करने वाले वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार।पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग से अभियुक्त हुआ घायल, गिरफ्तार,अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व मिस व खोखा कारतूस बरामद। ईलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती।

दिनांक 11-10-24 की में वादी मुकदमा अरुण सिंह द्वारा अपने भाई राहुल सिंह के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा दिनांक 10-10-24 को मारपीट होने एवं उसकी मृत्यु होने का अभियोग पंजीकृत कराया था जिसमे मारपीट करने वाले बदमाशों के संबंध में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा रोकने पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ में आज दिनांक 15-10-24 को एक अभियुक्त पकड़ा गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

मनीष उर्फ मंगल पुत्र जगपाल निवासी रजापुर थाना कविनगर गा0बाद उम्र करीब 25 वर्ष ।
भागने वाले अभियुक्त का नाम- विक्की निवासी चितौड़ा

बरामदगी का विवरण-

एक तमंचा 315 बोर मय 01 मिस कारतूस, 01 खोखा कारतूस व घटना वाली स्कूटी UP14AZ3928

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि एक अभियुक्त द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त फईम पुत्र शुभराती निवासी फैजगंज बेहटा थाना बेहटा जनपद बदायूं हाल पता- टैन्ट की दुकान, गिरधरपुर रोड, शिव मन्दिर के पास, बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर को जिन्दल स्कूल के पास बम्हैटा से गिरफ्तार किया गया तथा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं शादी समारोह में टैन्ट लगाने का काम करता हूँ तथा एक दिन मैंने लालकुंआ में एक कार्यक्रम में टैंट लगाया था उसमें यह लडकी भी आई हुई थी तभी मैंने मौका पाकर इस लडकी को बहला फुसला लिया था और मौका पाकर इसको अपने साथ भगाकर ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पताः-

फईम पुत्र शुभराती निवासी फैजगंज बेहटा थाना बेहटा जनपद बदायूं हाल पता- टैन्ट की दुकान, गिरधरपुर रोड, शिव मन्दिर के पास, बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर , उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 14.10.2024 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया का मोबाइल व पर्स चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी व मैनुअल इनपुट्स की सहायता से उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आयी अभियुक्ता छोटी उर्फ रूकसाना पत्नी हसमुद्दीन निवासी गली न0- 01, 22 फुटा रोड कबीर नगर थाना वेलकम दिल्ली हाल निवासी अमन गार्डन नजदीक पानी की टंकी आशियाना सिटी थाना लोनी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन, पर्स, 01 ब्लेड, सिम कार्ड निकालने वाले 02 पिन व 945 /- रूपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने परिवार सहित लोनी में रहती हूँ। मेरा पति शराब पीने का आदि है। घर का खर्च चलाने वाला कोई साधन नही है। मैं बाजार में जाकर सामान चोरी कर उसे बेचकर घर का खर्च चलाती हूँ। मैं पूर्व मे भी चोरी व एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में जेल जा चुकी हूँ। मैंने ही उपरोक्त मोबाइल व पर्स चोरी की घटना कारित की थी।

आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्ता के विरूद्ध थाना लोनी पर चोरी, बरामदगी व एनडीपीएस एक्ट के कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम/ पता-

छोटी उर्फ रूकसाना पत्नी हसमुद्दीन निवासी गली न0- 01, 22 फुटा रोड कबीर नगर थाना वेलकम दिल्ली हाल निवासी अमन गार्डन नजदीक पानी की टंकी आशियाना सिटी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी का मोबाइल फोन, पर्स, 01 ब्लेड, सिम कार्ड निकालने वाले 02 पिन व 945 /- रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.10.2024 को थाना निवाड़ी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त 1. रतन त्यागी पुत्र बलजीत सिंह 2. कपिल त्यागी पुत्र वोशेश्वर त्यागी 3. मंगल सैन पुत्र स्वजीत त्यागी निवासीगण कस्बा व थाना निवाडी द्वारा वादी के भाई को मारकर उसके शव को फंदा लगाकर पेड पर लटका दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 103 बीएनएस का लोप किया गया तथा अभियुक्तों के द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिये मजबूर करने के साक्ष्यों के आधार पर धारा 108 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा दिनांक 13.10.2024 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मंगल सैन पुत्र स्वजीत त्यागी निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आज दिनांक 15.10.2024 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कपिल त्यागी पुत्र विशेश्वर त्यागी निवासी वार्ड नं0 07 कस्बा व थाना निवाड़ी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक से हमारे गन्ने के खेत में आग लग गयी थी जिससे हमारा नुकसान हो गया था। मैंने तथा मेरे साथियों ने नुकसान की भरपाई हेतु मृतक पर अनुचित रूप से दबाब बनाया था जिसके कारण मृतक ने पेड से फंदा लगाकर फांसी लगी ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

कपिल त्यागी पुत्र विशेश्वर त्यागी निवासी वार्ड नं0 07 कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना निवाड़ी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा छिनैती/चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 15.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. विशाल पुत्र रविन्द्र निवासी सोम बाजार चौक, इंद्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2. शिवम पुत्र चुन्नी गिरी निवासी शुक्र बाजार, श्याम बाबा पार्किंग, प्रेम विहार, शिव विहार दिल्ली को 100 फुटा ईदगाह रोड़ थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों मिलकर दिल्ली व यूपी क्षेत्र से बाइक चोरी व राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीन लेते हैं। ये जो मोबाइल हमसे बरामद हुआ है, यह हमने कल रात ही धन्नू राम कट से एक व्यक्ति से छीना था। हम लोग घटना करने के लिए चुराई गयी मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर इस्तेमाल करते हैं तथा यह मोटरसाइकिल जिस पर हम घूम रहे थे यह हमने दिल्ली करावल नगर से चोरी की थी। आज भी हम लोग इस चोरी की मोटरसाइकिल से मोबाइल छीनने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता –

1. विशाल पुत्र रविन्द्र निवासी सोम बाजार चौक, इंद्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

2. शिवम पुत्र चुन्नी गिरी निवासी शुक्र बाजार, श्याम बाबा पार्किंग, प्रेम विहार, शिव विहार दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण

छीना गया 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरूद्ध मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा मोबाइल फोन छिनैती के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं व चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.08.2024 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा एक तहरीर दी कि अभियुक्त 1.सुनीपाल पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम भटजन थाना भोजपुर गाजियाबाद 2. सुनील पुत्र वेदराम निवासी ग्राम भटजन थाना भोजपुर गाजियाबाद 3. रुस्तम पुत्र याकूब निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद 4. राहुल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम भटजन थाना भोजपुर गाजियाबाद 5. जिला को-ऑपरेटिव बैंक का मैनेजर 6. पैनल अधिवक्ता द्वारा वादिया व वादिया के पति के साथ धोखाधडी करके फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार कर भूमि विक्रय करने को लेकर धोखाधड़ी करना व षडयन्त्र कर 06 लाख रुपये हड़प लेना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम भटजन थाना भोजपुर गाजियाबाद को भोजपुर ब्लाक के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार कर भूमि विक्रय कर लोगों से रुपये हड़प लेते है।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता-

राहुल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम भटजन थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 39 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से संचालित ओयो होटलों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 15.10.2024 को सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद द्वारा पूर्व में वैध प्रपत्रों के बगैर संचालित ओयो होटल के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के आदेश **पत्रांक संख्याः- 500/सराय एक्ट/2024** के अनुपालन के क्रम में थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत संचालित अवैध ओयो होटलों की स्थलीय जाँच के उपरान्त –

सराय एक्ट 1867 के अन्तर्गत बगैर पंजीकरण चल रहे 08 ओयो होटल क्रमशः –

1. ओम पैलेस होटल, जी०टी० रोड़ सर्विस लाईन पी०एन०बी० के पास,
2. ब्लू मून होटल, एम4यू सिनेमा राजेन्द्र नगर के पास, पी०एन०बी० बैंक के ऊपर,
3. देव इन होटल इन्डियन ओवरसीज बैंक के ऊपर,
4. औरचिड होटल मदर डेयरी के पास,
5. रॉयल ब्लू होटल मदर डेयरी के पास,
6. सनसाईन होटल बैंक ऑफ बडौदा के ऊपर,
7. कम्फर्ट इन होटल इन्डियन ओवरसीज बैंक के ऊपर,
8. सनसाईन होटल जी०टी० रोड़ पर राम कृष्ण विहार कॉलोनी, उपरोक्त संचालित अवैध ओयो होटल साहिबाबाद गाजियाबाद के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए सील किये गये।

<u>कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम</u>

सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।